बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2, पटना-800001

पत्रांक-02:15:17(अधि0)/2017-12587 दिनांकः- 12/12/17

प्रेषक,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति),
मुख्यालय पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
सभी प्रभारी जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति),
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **सी0एम0आर0 के भंडारण व्यवस्था के संबंध में।**

प्रसंगः- **निगम मुख्यालय का पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2017**

महाशय,

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अर्न्तगत धान अधिप्राप्ति/सी0एम0आर0 प्राप्ति के संदर्भ में विस्तृत दिशानिदेश/मार्गदर्शन प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। यदि प्राप्त सी0एम0आर0 का सी0एम0आर0 गोदाम में भंडारण हेतु भंडारण क्षमता की कमी महसूस करते है, तो बड़े गोदाम को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार जिला टॉस्क फोर्स से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें जिसे सी0एम0आर0 संग्रहण एवं भंडारण हेतु अधिसूचित किया जयगा। सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 का भंडारण निम्नांकित रुप में किया जायगा।

"भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार एक स्टैक के लिए 20'X30" क्षेत्रफल का स्थान चाहिए। 8 (आठ) बोरा चौड़ाई में, 12 बोरा लम्बाई में तथा ऊँचाई 20 बोरे का एक छल्ली बनाया जायेगा तथा ऐसा 7 (सात) छल्ली का फारमेशन होगा, जो स्टैक कहलाएगा। एलीवेज (**Alleyway**)-2 (दो) फीट का होगा तथा मजदूरों के लिए गैंगवेज 3 से 5 (तीन से पाँच) फीट का होगा।

सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 का भंडारण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि विगत वर्ष का सी0एम0आर0 का भंडार अवश्य शून्य हो तथा इसका भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही भंडारण करना प्रारंभ किया जायगा। सी0एम0आर0 प्राप्ति/निर्गमन में "प्रथम आगत-प्रथम निर्गत" (FIFO) सिद्धांत का अक्षरशः अनुपालन किया जायगा। सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर एक से अधिक गोदाम होने की स्थिति में सर्वप्रथम प्रथम गोदाम में प्राप्त सी0एम0आर0 भंडारित किया जायगा तथा गोदाम पूर्ण रुप से भर जाने के पश्चात् कमवार दूसरा/तीसरा गोदाम उपयोग में लाया जायगा। किसी भी परिस्थिति में एक ही समय एवं एक ही दिन में एक गोदाम से प्राप्ति एवं निर्गमन दोनों साथ-साथ नहीं होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभवना नहीं बनी रहें। सी0एम0आर0 गोदामों के लिए अलग-अलग स्वतंत्र रुप से अभिलेख का संधारण किया जायगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

12/12

महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)

M.K. part-2